# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 107/2017 राजस्व अपील

1. हीरालाल पुत्र रामसहाय जाति सैनी निवासी सिकन्दरा ढाणी डाबर तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश योग्य अधीनस्थ उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय दिनांक 23.10.2017 ई0 बप्रकरण संख्या 670/2017 उनवानी सरकार बनाम हीरालाल अ0धारा 91 रा.भू.रा. अधिनियम अ.धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री बृज मोहन गौड अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांक: 29.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 902,921,923 व 925 कुल किता 04 कुल रकबा 60 एयर तथा ख.न. 926 रकबा 38 एयर वाकै ग्राम सिकन्दरा वर्तमान में श्री कृष्ण संस्थान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा ख.न. 922 व 924 अपीलान्ट एवं सह खातेदार श्रीमती पार्वती देवी के नाम अंकित है। इन ख.न. भूमियों का एक ही चक है। उक्त आराजीयात पर शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा चार दीवारी का निर्माण करवाने से पूर्व तहसील कार्यालय सिकराय में सीमाज्ञान हेतु आवेदन करने पर दिनांक 14.10.2015 को नायब तहसीलदार सिकन्दरा व भू–अभिलेख निरीक्षक तथा हल्का पटवारी सिकन्दरा के संयुक्त दल ने उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया तद्नुसार उक्त भूमियों के चार दीवारी निर्माण हेतु नीवं खुदवाई गयी। जिस पर पुलिस थाना सिकन्दरा मे डॉ एस एन शर्मा ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जिस पर पटवारी हल्का से दिनांक 20.10.2015 को प्रतिवेदन लिया गया। तद्नुसार खुदवाई गई नींव में अतिक्रमण नही पाया गया। पटवारी हल्का सिकन्दरा की ज्यादती से परेशान होकर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का के विरूद्व शिकायत माननीय जिला कलक्टर महोदय को पेश

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

की थी। जिसकी नाराजगी के कारण पटवारी हल्का ने प्रार्थी के विरूद्ध आराजी ख.न. 920 चरागाह में से 05 एयर भू भाग एवं ख.न. 927 में से 05 एयर भू भाग पर अतिक्रमण कर निर्माण करने के संबंध में प्रतिवेदन अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार नायब तहसीलदार सिकन्दरा को पेश की जिस पर दिनांक 03.10.2017 को अपीलान्ट को तलब किया गया। अपीलान्ट ने दिनांक 03.10.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया। किन्तु दिनांक 03.10.2017 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति बताकर प्रिन्टेड फार्म पर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को निष्कासित करने एवं लगान की 50 गुना शास्ति के रूप में 30/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.10.2017 पारित फरमा दिया। इसके बाद दिनांक 26.10.2017 को सूचना पत्र प्रेषित कर पुख्ता बाउण्डरी वाल हटाने के आदेश अपीलान्ट को प्रेषित करवा दिया। प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.10.2017 को प्रश्नगत आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट को बेदखल करने व लगान की 50 गुना शास्ति कायम करने का अंकन कर पारित कर दिया। जो अनियमित व अनुचित आदेश है। उप तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की अपूर्ण, अनियमित एवं अस्पष्ट प्रतिवेदन को सही मानकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने शिक्षण संस्थान के नाम खातेदारी के तथ्य को अंकित नही किया एवं अपीलान्ट के विरूद्ध व्यक्तिशः रंजिश के कारण रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब व राजस्व रिकार्ड की जांच नही की। अपीलान्ट का चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है। पटवारी हल्का द्वारा वैमनस्यतावश यह प्रतिवेदन पेश किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर शिक्षण संस्थान के विरूद्ध पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.10.2017 को निरस्त फरमाये जावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित आराजी ख.न. 920 रकबा 1.33 है0 मे से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर पुख्ता बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 23.10.2017 के द्वारा अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम के आदेश पारित किये गये है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 23.10.2017 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। साथ ही उप तहसीलदार सिकन्दरा को निर्देश दिये जाते है कि विवादित राजकीय भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नियमोचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (दौसा)

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा